

कांस्टीट्यूशन में और जिस राजभाषा के पद पर हम ने हिन्दी को 18 साल पहले से ही बैठाया हुआ है उसे व्यवहार में भी मान्यता दिलायें। इन 18 सालों में भले ही अपनी नालायकी से अथवा और किन्हीं कारणों से हिन्दी को हम व्यवहार में नहीं लाये और उस को अपेक्षित स्थान नहीं दिला पाये हैं कम से कम आज इस विधेयक के जरिए यह भावना साफ दिखाई पड़नी चाहिए कि उत्तरोत्तर हम हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। अंग्रेजी जब तक कुछ लोगों के लिए वास्तविक जरूरत हो उतने वक्त तक उस को चलायें लेकिन उस के लिए हिन्दी को डिसेंडवांटेज (नुकसान) में नहीं डालना चाहिए। बाकी दरअसल इस हिन्दी और अंग्रेजी के पीछे सारे झगड़े की जड़ में नौकरियां हैं। हमारे भारतवर्ष में आज से नहीं मकले के समय से सरकारी नौकरी की महत्ता समझी जाती रही है, हर एक शिक्षित नौजवान नौकरी पाने के लिए उत्सुक रहता है और अलावा नौकरी करने के उस की दृष्टि और कहीं नहीं जाती है। हमारे देश के नौजवानों के विकास की प्रगति का कुछ भी फाटक खुला है तो वह सरकारी नौकरी की प्राप्ति है। उस के ही सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए जैसा मैं ने कहा है इस हिन्दी अंग्रेजी के पीछे सारा झगड़ा यह सरकारी नौकरियां ही हैं। अंग्रेजी भाषा चूंकि वह किसी की भाषा नहीं थी वह एक विदेशी भाषा थी इसलिए सब को उस में बराबर डिसेंडवांटेज (असुविधा) थी लेकिन अगर हिन्दू हो जायेगी तो जाहिर है कि हिन्दी भाषा भाषी लोगों को औरों के मुकबले एडवांटेज (सहूलियत) हो जायेगी। They will have an edge over some दरअसल बात यह है, और उस में मैं मानती हूँ कि कुछ सच्चाई भी है। इस के लिए हम एडजस्टमेंट

कर सकते हैं लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि पिछले 20 साल में तो हम ने हिन्दी के लिए कुछ किया नहीं, हिन्दी हम लाय नहीं। अब 1965 के बाद बाज़ यह मानना चाहिए कि कांस्टीट्यूशनल पोजीशन (संवैधानिक स्थिति) यह है कि हिन्दी इस देश की आफिशियल लैंग्वेज है तब किसी न किसी तरीके से उसे सरकम्बेंट करके अंग्रेजी को ऊपर लाने की कोशिश की जाय। जरूरत इस बात की है कि ईमानदारी के साथ और एक निश्चित प्रोग्राम के साथ हम हिन्दी का विकास करें और व्यवहार में उसे लायें लेकिन यह शर्त आप ने क़ायम रखी कि अगर किसी ने हिन्दी में चिट्ठी लिखने की हिम्मत की तो उसे उस का अंग्रेजी ट्रान्सलेशन देना पड़ेगा तो कोई हिन्दी में लिख कर क्यों इतना फज़ीता मोल लेगा और हिन्दी कोई नहीं सीखेगा, किसी को पढ़ाई नहीं होगी और उस हालत के रहते कौन इतनी तकलीफ़ उठायेगा ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्या कल को अपना भाषण जारी रखें।

17.59 Hrs.

**BUSINESS ADVISORY COMMITTEE  
 TENTH REPORT**

**THE MINISTER OF PARLIAMEN-  
 TARY AFFAIRS AND COMMUNICA-  
 TIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH) :**  
 I beg to present the Tenth Report of the  
 Business Advisory Committee.

*The Lok Sabha then adjourned till  
 Eleven of the Clock on Friday, December  
 8, 1967/Agrahayana 17, 1889 (Saka).*